

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**नियुक्ति अनुभाग-2**  
**संख्या-17/2018/123/दो-2-2018-28/2(8)/2018**  
**लखनऊ: दिनांक: 07 फरवरी, 2018**  
**आदेश**

श्री राम गोपाल, पी0सी0एस0-2007 के भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-77910 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री राम गोपाल, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-18/मितान डायरी-179/34569/48174, दिनांक 16-08-2017 के अनुसार वर्ष 2015-2016 तक कुल जमा धनराशि रू0-14,16,311/- (रू0-चौदह लाख सोलह हजार तीन सौ ग्यारह मात्र) जिसमें माह 3/16 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-12,74,679.09/- अर्थात रू0-12,74,680/- (रूपये बारह लाख चौहत्तर हजार छः सौ अस्सी मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री राम गोपाल के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

**उदय भानु त्रिपाठी**  
**विशेष सचिव।**

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री राम गोपाल, पी0सी0एस0-2007, तत्कालीन नगर मजिस्टेट, बुलन्दशहर सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बुलन्दशहर।
- 4- श्री राम गोपाल, पी0सी0एस0, सेवानिवृत्त, पता-ग्राम-रायपुर (पजावा), तहसील-सपुर डाक, नरखेडा, जिला-रामपुर।

**आज्ञा से,**

**(धनन्जय शुक्ल)**  
**संयुक्त सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।